

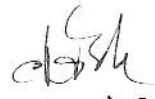
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(ख)(के 302/83)लिंक न.1261 /अलेसे-11/20258-265 दिनांक 04-03-2014

कार्यालय आदेश

श्री कमलेश कुमार जोशी, तत्कालीन लेखाकार लिंक न.1261 ने इस कार्यालय के आदेश संख्या 54/2013-14 क्रमांक 4564-4624 दिनांक 10.05.2013 के अनुसरण में दिनांक 29.07.2013 के निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान जयपुर में उपस्थिति दी थी, लेकिन वहां पर लेखाकार का पद रिक्त न होने के कारण श्री जोशी को दिनांक 12.08.2013 को वापस इस निदेशालय में लौटा दिया गया । निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग जयपुर द्वारा दिये गये उपस्थिति प्रमाण पत्र अवधि दिनांक 29.07.2013 से 11.08.2013 तक (14 दिवस) के आधार पर श्री जोशी का उक्त अवधि एवं आदेशों की प्रतीक्षा अवधि 12.08.2013 से 02.10.2013 तक दोनो अवधि के वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

उक्त सम्पूर्ण अवधि का वेतन आहरण उप कोषाधिकारी उपकोष विधानसभा, जयपुर से किया जावेगा ।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.3(ख)(के 302/83)लिंक न.1261 /अलेसे-11/20258-265 दिनांक 04-03-2014
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर
2. कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)
3. उपकोषाधिकारी, उपकोष विधानसभा, जयपुर
4. श्री कमलेश कुमार जोशी, (लिंक नम्बर 1261) तत्कालीन लेखाकार, उपकोषाधिकारी, विधानसभा, जयपुर
5. ☒ उप निदेशक, (ए.सी.पी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु ।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली


(के. एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक प्रथम)